International Journal of Latest Emerging Multidisciplinary Research
Volume 1 ~ Issue 1 (Jan- June 2025) pp: 11-14
www.ijlemr.net

Research Paper

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

प्रीती अग्रवाल
राजकिय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर, उत्तरप्रदेश

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अर्थ निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रुप में भागीदारी से लेकर महिलाओं की सत्ता में भागीदारी तक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा व लचीला लोकतांत्रिक देश है। परंतु पुरुष प्रधान समाज यह कभी स्वीकार नही कर पाया कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले। लोकतंत्र सही अर्थो मे तभी सफल है जब राजनीतिक दलों व सरकारों के स्तर पर राजनीतिक निर्णय स्त्रियों व पुरुषों द्वारा समान स्तर पर लिए जाए लेकिन व्यवहारिक रुप से महिला की मौजूदगी कम है।[1]

नारीवाद की प्रेणता स्टेसी तथा प्राइस की मान्यता सही है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति तभी सुधरेगी जब वे राजनीति मे दृष्टिगोचर होगी। भारत के 20वीं सदी के अंतिम दशको मे महिलाओ की राजनीति मे सुनिश्चित भूमिका के लिए राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर प्रयास किए गए। 21वीं सदी मे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी मे बढ़ोतरी तो हुई परंतु वह पर्याप्त नही है। भारतीय राजनीतिक मे महिलाओं की भागीदारी को तीन अधिकारो से आंका जा सकता है। –

पहला–मतदान प्रतिशत दूसरा – विधायी सदनों मे हिस्सेदारी, तीसरा – मंत्रिपरिषद् मे उनकी हिस्सेदारी। सरकार आकड़े बताते है कि पिछले तीन दशको में महिला के मतदान प्रतिशत में वृदि हुई है। 1991 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 51.4% था। वही 2009 में 55.8% तथा 2014 में 65.6% हो गया। विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 2015 में पूर्व के 40–50% से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गया।

विधायी सदनो में भागीदारी :–संसद और विधान सभाओ मे महिलाओं की भागीदारी क्षीण रही है परंतु, उनमें उत्तरोतर/लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे 1991 में जहाँ मात्र 37 महिलाएँलोकसभा सदास्य थी। वहीं धीरे–धीरे बढ़कर 2014 में 62 हो गई। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछले तीन दशको से विधायी सदनों मे महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बहस चलते रहे परंतु वह लागू नही हो पाया।

मंत्रिपरिषद् में भागीदारी :– केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् तथा राज्यो केमंत्रिपरिषद् में महिलाओं के भागीदारी निराशाजनक है। हालाँकि भारतीय राजनीतिक इतिहास में अब तक अनेक महिलाए राज्य मे महिला मुख्यमंत्री रही है।[2]

हालाँकि स्वतंत्रता के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षो बाद भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पुरुषों से नगण्य है। किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण में व विकास में महिला व पुरुष दोनो की परस्पर

सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। यह बात नैसर्गिक सिद्धांत और पर्यायवरणीय संतुलन की दृष्टि से भी नितांत आवश्यक ही नही अपितु अनिवार्य भी है। वैसे भी मानव समाज के संतुलित व सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी और योगदान कभी भी कम नही रही है, परंतु यह एक विडम्बना ही रही है की समाज में उन्हे बराबरी का दर्जा शायद ही कभी मिला हो। हमारे देश मे कुल आबादी का लगभग 50% भाग महिलाओं को है फिर भी उन्हे समाज में वह दर्जा प्राप्त नही है जो पुरुषों का है।

महिलाओंमेंराजनीतिक मुद्दों और गतिविधियों के प्रति जागरुकता का बढ़ना, उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को विभिन्न संगठनों, निकायों और इकाईयों के माध्यम से सामाजिक पद पर उजागर करना एवं समस्याओ के निराकरण के लिए राजनीतिकगतिविधियों के माध्यम से आगे आना है। भारत में राजनीतिक चेतना और सामाजिक पुनर्जागरण का विकास साथ–साथ हुआ है। वर्तमान युग में जहाँ मानवता शांति चाहती है। महिलाओं की राजनीति भागीदारी एक आवश्यकता बन गई है। राजनीतिक परिदृश्य व निर्णय प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी उसके सबलीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन इसके लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी निर्माण करना होगा।

लोकतंत्र की सफलता वास्तिवक अर्थो में तभी है जब राजनीतिक दलों, सांसदो व सरकारों के स्तर पर राष्ट्रीय निर्णय पुरुष व स्त्रियों द्वारा समान रुप से लिए जाएँ। आजादी के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं के संदर्भ में परिवर्तित अवश्य हुआ है लेकिन राजनीतिक में उनकी मौजूदगी प्रभावी कम है।[4]

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने हेतू राजनैतिक दलों की आचार संहिता मे नियम बनाकर महिलाओं को स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस सम्बंध मे बीजिंग सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई थी तथा यह सुझाव दिया गया था कि सभी देशों में राजनैतिक दल महिला उम्मीदवारों का कोटा निश्चित करें और साथ ही दलों की आंतरिक संगठन में सभी स्तरों पर महिला पदाधिकारियों की व्यवस्था करें। अनेक देशो में इस तथ्य को स्वीकारा गया और कई देशों के राजनैतिक दलों के अधिशासी निकाय में महिलाओ के लिए एक निश्चित कोटा तय किया गया। जैसे आस्ट्रैलिया में राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने हेतु $\frac{1}{3}$पदमहिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। कई देशों में महिलाओ की सहभागिता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की जैसे बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था, राजनैतिक दलों की बैठक का समय इस तरह निर्धारित करना की महिलाओं को घर की जिम्मेदारी पूरा करने मे बाधा न हो। इस प्रकार के प्रयास व व्यवस्था भारत में भी किए जाने चाहिए। परंतु भारत मे राजनैतिक सहभागिता में लैगिंक अन्तर है। हालाकी यह अंतर मतदान प्रक्रिया में धीरे–धीरे कम हो रहा है। परंतु एक आर्दश व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भारत मे गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। कानून बना देने मात्र से ही से हमें सफलता प्राप्त नही होगी, बल्कि इन कानूनों की अनुपालना भी अनिवार्य है। तभी महिलाएं राजनीति में व्यापक व सकारात्मक भागीदारी निभा सकेंगी और महिला की सहभागीदारी से ही महिला सम्बंधी अनेक समस्याओ का निराकरण सम्भव है।[5]

महिला प्रतिनिधित्व से सम्बंधित शोध यह दर्शा चुके है कि भारत मे आज भी महिलाए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामलों में पीछे है। जो न सिर्फ भारतीय महिलाओं के लिए प्रतिकूल है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मूलभूत भावनाओं के भी प्रतिकूल है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशो मे गिना जाता है। अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही अपनी आबादी को उनके राजनीतिक अधिकार व सवैधानिक अधिकार देने मे असफल हो जाता, तो यह भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर

प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि लोकतंत्र ही एक मात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहा बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि आधार पर पक्षपात किए बिना सभी को सक्षम अवसर देने का दावा किया जाता है।[6]

महिलाओं का राजनीति में निम्न प्रतिनिधित्व का कारण :–भारतीय सन्दर्भ यें पितृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधक तत्व है। यह सामाजिक व्यवस्था हमेशा ही महिलाओं को दोयम दर्जे का समझती है तथा उन्हे राजनीतिक, आर्थिक, व्यवस्था की मुख्य धारा से दूर रखती है। 13% महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियों के कारण राजनीतिक में पर्याप्त भागीदारी नही निभा पाती है। कई महिला व्यक्तिगत कारणो की वजह से राजनीति मे सक्रिय भागीदारी नही निभा पाती जैसे बच्चों की देखबाल, घर के सदस्यो का खाना बनाना इत्यादि। आज भी भारतीय समाज मे स्त्री व पुरुषों के मध्य कार्य विभाजन को प्रधानता दी जाती है। पारिवारिक कार्यो के लिए केवल स्त्रियों को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसी रुढ़ीवादी सोच के कारण न सिर्फ राजनीति में, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र मे भी महिलाए अपनी पर्याप्त भूमिका नही निभा पाती है। इनके अतिरिक्त कई महिलाएँ व्यक्तिगत कारणों जैसे राजनीति में रुचि न होना, जागरुकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन्न आदि कारणो से लगभग 10% महिलाएँ राजनीति हिसा लेने मे सक्षम नही है।

पंचायतों में महिलाओं कोदिए गए आरक्षण के परिणामों तथा शोधों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के लिए बल्कि सम्पूर्ण समाज और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इससे न केवल महिलाओ की स्थिति में परिवर्तन आएगा बल्कि एक न्यायपूर्ण सामाजिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी स्थापना हो सकेगी।[8]

किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण में व विकास में महिला व पुरुष दोनो की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। यह बात नैसर्गिक सिद्धांत और पर्यायवरणीय संतुलन की दृष्टि से भी नितांत आवश्यक ही नही अपितु अनिवार्य भी है। वैसे भी मानव समाज के संतुलित व सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी और योगदान कभी भी कम नही रही है, परंतु यह एक विडम्बना ही रही है की समाज में उन्हे बराबरी का दर्जा शायद ही कभी मिला हो। हमारे देश मे कुल आबादी का लगभग 50% भाग महिलाओं को है फिर भी उन्हे समाज में वह दर्जा प्राप्त नही है जो पुरुषों का है।

परंतु भारत मे राजनैतिक सहभागिता में लैगिंक अन्तर है। हालाकी यह अंतर मतदान प्रक्रिया में धीरे–धीरे कम हो रहा है। परंतु एक आर्दश व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भारत मे गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। कानून बना देने मात्र से ही से हमें सफलता प्राप्त नही होगी, बल्कि इन कानूनों की अनुपालना भी अनिवार्य है। तभी महिलाएं राजनीति में व्यापक व सकारात्मक भागीदारी निभा सकेंगी और महिला की सहभागीदारी से ही महिला सम्बंधी अनेक समस्याओ का निराकरण सम्भव है।

भारत में राजनीतिक चेतना और सामाजिक पुनर्जागरण का विकास साथ–साथ हुआ है। वर्तमान युग में जहाँ मानवता शांति चाहती है। महिलाओं की राजनीति भागीदारी एक आवश्यकता बन गई है। राजनीतिक परिदृश्य व निर्णय प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी उसके सबलीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन इसके लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी निर्माण करना होगा।

1991 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 51.4% था। वही 2009 में 55.8% तथा 2014 में 65.6% हो गया। विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 2015 में पूर्व के 40–50% से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गया।

सन्दर्भ

1. नीलम गुप्ता : भारत मे महिलाओं के राजनीतिक अधिकार व नेतृत्व के आयाम पृ. 157
2. राजबाला सिंह, मधुबाला सिंह : भारत मे महिलाए, पृ. 1–04
3. चन्द्रमोहन अग्रवाल : भारतीय नारी विविध आयाम, पृ. 208
4. सुभाष शर्मा : भारतीय महिलाएं दशा व दिशा पृ. 144
5. Vibha Tiwari : Zender Gap in Indian Politics Page 144
6. निरोज सिंह : महिला सशक्तिकरण – वायदे और हकीकत, पेज 13
7. नीलिमा सिंह, महिला मानवाधिकारों में अर्न्तनिहित राजनैतिक अधिकार : भारत के सन्दर्भ मे पेज 75
8. बी.एल. कोरटिया : भारतीय शासन व राजनीति